# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 110 सन् 2019 दायरा दिनांकः– 14-11-19

धुडाराम पुत्र फूसाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. देबूराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. दुर्गाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मोहनलाल पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. लादुराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. हेमाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. रामकंवरी पत्नि मालाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा साण्डवा तहसील बीदासर
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।**

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री गौतम सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 19.12.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 221 तादादी 5.4633 हेक्टेयर, खसरा संख्या 222 तादादी 1.2140 हेक्टेयर, खसरा संख्या 223 तादादी 0.1012 हेक्टेयर, खसरा संख्या 229 तादादी 6.7784 हेक्टेयर, खसरा संख्या 377 तादादी 3.3387 हेक्टेयर, खसरा संख्या 378 तादादी 1.0117 हेक्टेयर, खसरा संख्या 379 तादादी 0.4426 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 18.3499 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है तथा जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादगत खेतों को अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं [illegible] मौके पर सींव है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का खान–पान, रहन–सहन [illegible] वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित [illegible] वादी को सरकारी [illegible] प्राप्त करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

भारी परेशानीयां उठानी पड रही है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी 1/2 हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 5.11.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की ख़ातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। [illegible] संख्या 1 ता 6 की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं [illegible] वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी संवत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति [illegible] की। राजीनामा में वादी की पहचान श्री मनोज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

गोदारा एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पहचान श्री गौतम सैनी एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार अपने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस फरीकेन व वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को राजीनामा के अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा किसी लोक निति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय यह प्रयास करेगा कि विवाद को उभयपक्ष की सहमति से तथा समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

## —: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर राजीनामा अनुसार इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कल्याणसर के खसरा संख्या 221 तादादी 5.4633 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 222 तादादी 1.2140 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 378 तादादी 1.0117 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 379 तादादी 0.4426 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादी अकेले के नाम अलग से खातेदारी में दर्ज कर लगान का अलग से विभाजन किया जावे तथा खसरा संख्या 223 तादादी 0.1012 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 229 तादादी 6.7784 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 377 तादादी 3.3387 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के संयुक्त रूप से ब.हि.ब. बैंक रहन सहित अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर